<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 108/14

संस्थापन दिनांक : 12.02.2014

मे.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—रामवीर पुत्र लालिकशन शर्मा उम्र 18 वर्ष 2—मंशाराम पुत्र भोगीराम शर्मा उम्र 55 वर्ष 3—गब्बर पुत्र लालिकशन शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

<u>निर्णय</u>

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 504, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.01.14 को प्रातः 10:00 बजे ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड पर तुलाराम अ0सा01 की फर्शा से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.14 को सुबह करीब 10:00 बजे फरियादी तुलाराम अ0सा01 भैंस का पलांद बना रहा था तभी आरोपी रामवीर शर्मा आया और गाली गलौच करने लगा उसने गाली देने से मना किया तभी आरोपी गब्बर शर्मा आया और उसके फर्शा मारा जो माथे के उपर लगा। मंशाराम ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की तभी उसके लड़के का लड़का दिनेश आ गया और उसने बचाया। तत्पश्चात फरियादी तुलाराम कुशवाह अ0सा01 ने अदम चैक प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर मेडीकल उपरांत थाना गोहद में अप0क0 06/14 की एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत

होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 03.01.14 को प्रातः 10:00 बजे ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड पर तुलाराम अ0सा01 की फर्शा से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

5. फरियादी तुलाराम अ०सा०१ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व दिन के 11—12 बजे वह भैंस का पलांद सी रहा था तब उसके नाती को आरोपी रामवीर व गब्बर पीटते हुए आये तब उसका नाती भागते हुए आया जिसको आरोपीगण गाली गलौच दे रहे थे तब उसने अपने नाती को बचाया जिस पर गब्बरसिंह ने उसके सिर में फर्शा मारा मंशाराम ने उसे पकड़ा था इसके बाद आरोपीगण भाग गये। आरोपीगण रामवीर, मंशाराम, गब्बर तथा अन्य लालकृष्ण भी था। फिर उसने गोहद जाकर रिपोर्ट प्र0पी—1 की थी उसकी चोटों का इलाज हुआ था और 2—3 दिन बाद पुलिस उसके घर पर आई थी जिसने नक्शामौका प्र0पी—2 बनाया था।

विनेश अ०सा०२ जोकि तुलाराम अ०सा०१ का नाती है, ने यह कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व आरोपीगण से बच्चों की बात पर मुंहवाद हो गया था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 03.01.14 को आरोपीगण ने गाली गलौच की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने तुलाराम अ०सा०१ की फर्शे से मारपीट की थी। अतः इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

7. बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी—4 को विवादग्रस्त न होना बताया गया है। उक्त रिपोर्ट प्र0पी—4 के अनुसार तुलाराम के माथे पर कटा हुआ घाव उल्लिखित है। तुलाराम अ०सा01 ने प्रतिपरीक्षण में भी यही कथन किया है कि गब्बरसिंह ने उसे सिर में फर्शा मारा था और कथन किया है कि फर्शा उसे धार की तरफ से नहीं मारा था फर्श का लकड़ी का बेंटा मारा था। मुख्यपरीक्षण में भी इस साक्षी ने मात्र यही कथन किया है कि गब्बरसिंह ने उसे फर्शा मारा था यह स्पष्ट नहीं किया है कि फर्शा किस प्रकार से उसे मारा था। परन्तु फर्शा स्वमेव काटने का हथियार है और उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अतः न्यायदृष्टांत जयनारायण बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1972 सु.को. 1764 के आलोक में काटने के उपकरण से चोट पहुंचाये जाने की श्रेणी में आता है।

तुलाराम अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि उसके शरीर पर बीस चोटें आईं थीं जो उसने पुलिस को लिखाई थी परन्तु मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी—4 में मात्र दो चोटों का उल्लेख है। यद्यपि साक्षी ने चोटों के संबंध में अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है परन्तु चोट क्रमांक 1 कटा हुआ घाव के संबंध में मुख्यपरीक्षण व प्रतिपरीक्षण में स्थिर कथन किए हैं।

तुलाराम अ०सा०1 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह अंदाज से

कह रहा था कि गब्बरसिंह ने उसे मारा था क्योंकि मंशाराम ने उसे पकडा था और गब्बर के अलावा किसी और ने मारा हो तो वह नहीं कह सकता। यद्यपि इस साक्षी ने चोट पहुंचाये जाने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं किया परन्तु समस्त आरोपीगण की उपस्थिति बतायी है जिनमें से ही किसी एक के द्वारा फर्शा मारा जाना बताया है। अतः उक्त तथ्य तात्विक नहीं रहता है।

🧪 तुलाराम अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि भारतसिंह थाने पर गया था उसने रिपोर्ट की थी क्योंकि वह गैरहोश था। यद्यपि इस साक्षी ने रिपोर्ट प्र0पी-1 भारतसिंह द्वारा लिखाया जाना बताया है परन्तु उक्त दस्तावेज मात्र संपुष्टिकारक साक्ष्य है और सारभूत न्यायालयीन साक्ष्य में उसने 🔷 रिपोर्ट 🕠 पी–1 की अंतर्वस्तु सिद्ध की है।

तुलाराम अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि फर्शा वहीं पर छूट गया था जो उसके बच्चों ने उठाकर पुलिस को दे दिया था और उसी फर्शे से उसकी मारपीट हुई थी। जबकि मामले में जप्त फर्शा आरोपी से जप्त होना अभियोजन द्वारा बताया गया है। अतः फर्शे की जप्ती संदेहास्पद होती है परन्तू जप्त फर्शा वह नहीं है जिससे तुलाराम अ०सा०1 को उपहति पहुंचायी गयी है इस संबंध में बचाव पक्ष की कोई प्रतिरक्षा नहीं रही है।

तुलाराम अ0सा01 ने ही प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब वह पिट रहा था तब वह अकेला था और आरोपीगण के चले जाने के बाद भारत आया था। दिनेश अ०सा०२ ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। परन्त साक्षियों की संख्या आपराधिक मामले को सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। साक्ष्य की गुणवत्ता आवश्यक है। तुलाराम अ०सा०१ यद्यपि घटना का एकल साक्षी है परन्तु उसके द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में भी विश्वसनीय प्रतीत हुए हैं। अतः उसके एकल साक्ष्य पर निर्भर रहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला 13. युक्तियुक्तसंदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 03.01.14 को प्रातः 10:00 बजे ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड पर तुलाराम अ०सा०१ की फर्शा से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

परिणामतः आरोपीगण को धारा 324 / 34 भा.द.स.के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया जाकर आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

अपराधी परिवीक्षा अधिनिमय के प्रावधानों पर विचार किया गया। धारा 16. 320 दप्रस के अधीन उभयपक्ष के मध्य शमन हो चुका है। आरोपीगण की पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः आरोपीगण को कारावास का दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः धारा ४ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन आरोपीगण द्वारा पांच-पांच हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र इस शर्त के अधीन प्रस्तृत किया जाये कि वह निर्णय दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाये रखेंगें व सदाचारी रहेंगें तथा पुनः समान प्रकृति के अपराध में संलिप्त नहीं होंगें और इस शर्त का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा आह्त किए जाने पर दण्डादेश भूगतने के लिए उपस्थित रहेंगें तो आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोडा जाये।

4 प्रकरण कमांक : 108/14

प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहे हैं इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का फर्शा अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये ।

WIND STREETS ARTERS STUTTED STREETS ARTERS STUTTED STREETS ARTERS STUTTED STUT

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0